पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 346/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 09.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01. थाना तहबरपुरः- युवती को शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.10.2024 को शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से प्राप्त प्रार्थना पत्र में आवेदिका थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा शिकायत किया गया कि अभियुक्त शनि यादव पुत्र नन्दलाल यादव ग्राम मोहनाठ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदिका के साथ विगत 01 वर्षों से शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया जिससे आवेदिका गर्भवती हो गयी जिसका गर्भपात अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ अमरावती चिकत्सालय में कराया और अब अभियुक्त द्वारा शादी से इनकार करते हुये गाली-गलौज किया जा रहा है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0218/2024 धारा 64,89,352,351(3), B.N.S.-2023 व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)5 SC.ST.Act बनाम 1. शनि यादव पुत्र नन्दलाल यादव ग्राम मोहनाठ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. अमरावती चिकित्सालय के संचालक नाम पता अज्ञात 3. पाँच से सात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 09.11.2024 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शनि यादव पुत्र नन्दलाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी मोहनाट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को सोफीपुर चौराहा पर ढढ़नी जाने वाले मार्ग से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना तहबरपुरः- आवेदक के खाते से साइबर फ्राड के माध्यम से फ्राड हुए कुल 74076/ रूपये साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराये गये।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.01.2024 को आवेदक कैलाश प्रजापति पुत्र श्री फेंकू ग्राम व पोस्ट मधसिया थाना तहबरपुर को जारी एडीएफसी बैक द्वारा टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड के संबंध में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काल कर बताया गया कि वह बैंक की तरफ से बात कर रहा है और उसके द्वारा कहा गया कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड अभी तक एक्टीवेट नहीं किया है। क्रेडिट कार्ड एक्टीवेट न करने पर आपके खाते से 2500/- रूपये काटे जायेगें। इस डर से आवेदक को एक ओटीपी सेन्ड की गयी। आवेदक द्वारा ओटीपी बता देने से उसके क्रेडिट कार्ड से 74076 रूपये कट गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 52/2024 धारा 66डी आई.टी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

रूपया वापसी का विवरणः-

आवेदक कैलाश प्रजापति पुत्र श्री फेंकू ग्राम व पोस्ट मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के अभियोग की जाँच से ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड एक्टीवेट करने पर उसके क्रेडिट कार्ड से 74076/- कट गया था। आवेदक के खाता संख्या के बारे में बैंक एडीएफसी शाखा सरायमीर से सम्पर्क करने पर आवेदक के क्रेडिट कार्ड की जाँच की गयी तो ज्ञात हुआ कि NO BROKER RENTPAYMENTS (ST 240480082000010256488) पैसा गया था। जिसे साइबर पुलिस टीम द्वारा आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

साइबर पुलिस टीमः-

प्रभारी रि0उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

कम्प्यूटर आपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

का0 अमित कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना समाधान दिवस (थाना दिवस)

आज दिनांक- 09.11.2024 को ***पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना*** द्वारा थाना ***रानी की सराय*** में थाना समाधान दिवस (थाना दिवस) पर जनता के समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना रानी की सराय का किया गया निरीक्षण व दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 09.11.2024 को ***पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना*** द्वारा थाना रानी की सराय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ***सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर*** व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये-

1- थाना परिसर में उच्चकोटि की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

2- निस्तारण योग्य वाहन थाने में बेतरतीब खड़े है, अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाय तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. थाना कार्यालय में रखे रजिस्टरों का अवलोकन कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

प्रेस –नोट

यातायात पुलिस जनपद आजमगढ़

आज दिनांक 09.11.2024 को ***पुलिस अधीक्षक,आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात विवेक त्रिपाठी*** के कुशल निर्देशन में यातायात माह नवम्बर 2024 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन दो पहिया वाहन बिना हेलमेट, तीन सवारी चलने तथा ओवर लोडिंग चलाने वाले वाहन

चालकों को जागरूक किया गया तथा यातायात पुलिस व जनपदीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न स्कूलों/कालेजों में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा सड़क सुरक्षा के सम्बंध में जानकारी दी गयी ।

जागरूक किये गये स्कूलों/कालेजों का विवरण निम्नवत है –

1. जयपुरिया पब्लिक स्कूल कंधरापुर, आजमगढ़ थाना कंधरापुर।
2. ग्राम समाज इण्टर कालेज जय नगर जिगनी मेंहनगर, आजमगढ़ थाना मेंहनगर।
3. श्री हरिशंकर पीजी कालेज रामपुर जहानागंज आजमगढ़ थाना जहानागंज।